प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उ0प्र0
परिवार कल्याण महानिदेशालय
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0क0/उपकेन्द्र/2016-17/1362-75 दिनांकः 18.07.2016

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपकेन्द्रों हेतु अन्टाइड धनराशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपकेन्द्रों हेतु अन्टाइड धनराशि के सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं।

- उपकेन्द्रों को Differencial Financing के अनुसार निम्नानुसार वार्षिक असम्बद्ध धनराशि आवंटित किया जाना है।
  1. प्रतिमाह 30 से अधिक प्रसव होते हैं, ऐसे उपकेन्द्रों को रू0 40000 देय है।
  2. प्रतिमाह 10-30 प्रसव होते हैं, ऐसे उपकेन्द्रों को रू0 30000 देय है।
  3. प्रतिमाह 1-9 प्रसव होते हैं, ऐसे उपकेन्द्रों को रू0 20000 देय है।
  4. सरकारी भवनों वाले उपकेन्द्र जहाँ प्रतिमाह शून्य प्रसव होते है ऐसे उपकेन्द्रों को रू0 15000 देय है।
  5. किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों हेतु रू0 10000 प्रति उपकेन्द्र देय है।
- उपकेन्द्रों हेतु अनटाइड फण्ड के प्रथम किश्त के रूप में रू0 10000 प्रति उपकेन्द्र की दर से निम्न तालिका अनुसार धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी है।

Sr.	District	Amount Allocated for SC @ 10000	Amount Adjusted for SC	Amount to be released
1	Agra	3830000	3830000	0
2	Aligarh	3330000	3330000	0
3	Allahabad	5510000	5510000	0
4	Ambedkarnagar	2700000	2700000	0
5	Amethi	2130000	2130000	0
6	Amroha	1690000	1690000	0
7	Auraiya	1570000	1570000	0
8	Azamgarh	4930000	4930000	0
9	Baghpat	2000000	2000000	0
10	Bahraich	3100000	3100000	0
11	Ballia	3660000	3660000	0
12	Balrampur	2060000	2060000	0
13	Banda	2770000	2770000	0
14	Barabanki	3390000	3390000	0
15	Bareilly	3980000	3980000	0
16	Basti	2610000	2610000	0
17	Bijnor	3430000	3430000	0

18	Budaun	2960000	2960000	0
19	Bulandsahr	3440000	3440000	0
20	Chandauli	2480000	2480000	0
21	Chitrakoot	1390000	1390000	0
22	Deoria	3300000	3300000	0
23	Etah	1820000	1820000	0
24	Etawah	1620000	1620000	0
25	Faizabad	2570000	2570000	0
26	Farrukhabad	1850000	1850000	0
27	Fatehpur	3230000	3230000	0
28	Firozabad	2200000	2200000	0
29	Gautambudhnagar	1240000	1240000	0
30	Ghaziabad	1450000	1450000	0
31	Ghazipur	3930000	3930000	0
32	Gonda	3220000	3220000	0
33	Gorakhpur	5060000	5060000	0
34	Hamirpur	2150000	2150000	0
35	Hapur	1720000	1720000	0
36	Hardoi	4130000	4130000	0
37	Hathras	1940000	1940000	0
38	Jalaun	2770000	2770000	0
39	Jaunpur	4780000	4780000	0
40	Jhansi	3260000	3260000	0
41	Kannauj	1800000	1800000	0
42	Kanpur Dehat	2230000	2230000	0
43	Kanpur Nagar	3910000	3910000	0
44	Kasganj	1630000	1630000	0
45	Kaushambhi	1660000	1660000	0
46	Kushinagar	3580000	3580000	0
47	Lakhimpur Khiri	3710000	3710000	0
48	Lalitpur	1910000	1910000	0
49	Lucknow	3230000	3230000	0
50	Maharajganj	2930000	2930000	0
51	Mahoba	1500000	1500000	0
52	Mainpuri	1980000	1980000	0
53	Mathura	2050000	2050000	0
54	Mau	2250000	2250000	0
55	Meerut	3150000	3150000	0
56	Mirzapur	2510000	2510000	0
57	Moradabad	2710000	2710000	0
58	Muzaffarnagar	2860000	2860000	0
59	Pilibhit	1990000	1990000	0
60	Pratapgarh	3440000	3440000	0
61	Raebareli	3270000	3270000	0

62	Rampur	2040000	2040000	0
63	Saharanpur	3420000	3420000	0
64	Sambhal	2160000	2160000	0
65	Sant Kabir Nagar	1750000	1750000	0
66	Sant Ravidas Nagar	1630000	1630000	0
67	Shahjahanpur	2830000	2830000	0
68	Shamli	1270000	1270000	0
69	Siddharth Nagar	2780000	2780000	0
70	Sitapur	4680000	4680000	0
71	Sonbhadra	1700000	1700000	0
72	Srawasti	1210000	1210000	0
73	Sultanpur	2450000	2450000	0
74	Unnao	3560000	3560000	0
75	Varanasi	3060000	3060000	0
TOTAL		**204040000**	**204040000**	**0**

धनराशि का प्रेषण दिनांक 31.03.2016 को उपकेन्द्र के खाते में उपलब्ध शेष धनराशि के आधार पर अवमुक्त किया जायेगा। **उदाहरण के लिए** यदि किसी उपकेन्द्र में दिनांक 31.03.2016 को रू0 3000 शेष है, तो उसे रू0 7000 टापअप किया जायेगा। यदि किसी उपकेन्द्र में दिनांक 31.03.2016 को रू0 11000 शेष है, तो उसे प्रथम किश्त के रूप में कोई धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी, परन्तु उपकेन्द्र द्वारा अवशेष धनराशि से रू0 10000 तक व्यय किया जा सकेगा।

- असम्बद्ध धनराशि की द्वितीय किश्त के रूप में शेष धनराशि Differencial Financing को ध्यान में रखते हुये जनपदों से प्राप्त दिनांक 31.03.2016 को उपकेन्द्र के खाते में उपलब्ध शेष धनराशि के आधार पर अवमुक्त किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय भी इन्हीं दिशा–निर्देशों के आधार पर किया जायेगा।
- **फण्ड केवल उन उपकेन्द्रों को अवमुक्त किया जाये जहाँ प्रधान एवं उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 का संयुक्त खाता खुला हो**– उपकेन्द्र स्तर पर प्रधान एवं ए0एन0एम0 के संयुक्त हस्ताक्षर से खोले गये खाते में इलेक्ट्रॉनिकली/बैंक एडवाइस के माध्यम से स्थानांतरित की जायेगी।
- उपकेन्द्र द्वारा धनराशि व्यय करने हेतु कार्ययोजना बनाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत (जिस ग्राम पंचायत में उपकेन्द्र स्थित है) के ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रस्तुत करेगी एवं समिति के अनुमोदनोपरान्त धनराशि का व्यय किया जा सकेगा। यदि उपकेन्द्र द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लोगों को सेवा प्रदान की जाती है तो इस बैठक में अन्य ग्राम पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के दो सदस्य को आमंत्रित किया जा सकता है।
- यदि किसी आकस्मिक स्थिति में व्यय की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में प्रधान एवं ए0एन0एम0 द्वारा संयुक्त निर्णय कर व्यय किया जा सकता है, परन्तु इसे सम्बन्धित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- बैठक की कार्यवृत्त उपकेन्द्र स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी। उपकेन्द्र द्वारा माह में किये गये व्यय की सूचना मासिक रूप से ब्लॉक स्तर पर प्रेषित की जायेगी। जहाँ से संकलित कर जिला स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की मासिक बैठक में इसका प्रत्येक माह अनुश्रवण करेंगे।
- उपकेन्द्र द्वारा व्यय की गई धनराशि के समस्त अभिलेख सुरक्षित रखें जायेंगे। प्रत्येक वर्ष जनपद के 2 से 3 प्रतिशत उपकेन्द्रों के अन्टाइड खातों का रैण्डम आधार पर सत्यापन जिला स्तरीय लेखा अधिकारी/जिला लेखा प्रबंधक द्वारा अवश्य कराया जाये। सत्यापन की संकलित

रिपोर्ट को मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबधंन इकाई तथा परिवार कल्याण महानिदेशालय को अवश्य प्रेषित की जाये।

- प्राप्त धनराशि के उपयोग हेतु उपकेन्द्र की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी। कार्ययोजना बनाने के लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक उपकेन्द्र पर औषधियों/उपकरणों/अभिलेखों की एक स्टैन्डर्ड लिस्ट तैयार कर ली जाये। उपकेन्द्रों पर स्टैण्डर्ड लिस्ट के अनुसार उपकेन्द्र द्वारा दी जा रही सेवाओं के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाये। इस हेतु अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उपकेन्द्रों का अनुश्रवण करेंगे तथा ए0एन0एम0 को सहयोग प्रदान करेंगे।

अनटाइड धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जा सकता है–

1. उपकेन्द्र में पर्दे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बल्ब इत्यादि की व्यवस्था।
2. आकस्मिक परिस्थितियों में रोगियों को संदर्भन इकाई तक ले जाने हेतु।
3. महामारी के दौरान नमूना जाँच की लाने ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था।
4. उपकेन्द्र में पट्टी इत्यादि के क्रय हेतु।
5. प्रसवपूर्व देखभाल के लिए वजन मापने, बी0पी0 मशीन, हीमोग्लोबिन जाँच एवं यूरिन जाँच आदि के लिए क्रय/मरम्मत कराना। (उपरोक्त गतिविधियों के लिए क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उक्त मशीनें/किट जिला अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध न हो अथवा किसी अन्य मद से उक्त गतिविधियों के लिए बजट आवंटित न हो)
6. डिसइन्फैक्टैन्ट एवं ब्लीचिंग पाउडर क्रय करने हेतु।
7. पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता अभियान हेतु।
8. ग्रामीण स्तर पर सामाजिक मोबिलाइजेशन एवं सामुदायिक स्तरीय गतिविधियों हेतु।
9. उपकेन्द्र स्तर पर भवनों में लघु परिवर्तन एवं मरम्मत कार्य तथा लघु मरम्मत के कार्य जैसे– फर्नीचर एवं उपकरणों की मरम्मत जो कि स्थानीय स्तर पर किया जा सकता हो।
10. प्रत्येक प्रकार की मरम्मत कार्य एवं नवीनीकरण किया जाना जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है।
11. सैप्टिक टैंक/शौचालय का निर्माण, मरम्मत एवं साफ–सफाई।
12. जल भंडारण टैंक (क्रय, स्थापना, निर्माण, मरम्मत साफ–सफाई इत्यादि)।
13. रंगाई–पुताई।
14. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट (कूड़ेदान, गढ्ढे, निःसंक्रामक) की व्यवस्था।
15. उपकेन्द्र तक जाने वाले रास्ते की मरम्मत एवं सुदृढ़ता।
16. उपकेन्द्र के प्रांगण का सौन्दर्यीकरण।
17. उपकेन्द्र में तदर्थ साफ–सफाई जैसे प्रसव के तुरन्त बाद सफाई।
18. आशा एवं आँगनवाड़ी की मासिक बैठकों का आयोजन। (उपकेन्द्र स्तरीय मासिक बैठक, AAA प्लेटफार्म)

नोटः धनराशि के उपभोग के समय ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त मद में किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गई हो। भवन की मरम्मत, निर्माण कार्य, सौन्दर्यीकरण आदि मदों में कुल अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया जाये।

वित्त पोषण

- उपकेन्द्र का वित्त पोषण RMNCH+A फ्लैक्सीपूल के मद से किया जायेगा, जिसका अंकन RMNCH+A फ्लैक्सीपूल के बिन्दु बी 2.5 पर किया जायेगा। जनपदों से प्राप्त जनपदीय कार्ययोजना एवं KPI के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। यदि आपके संज्ञान में कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका औचित्य देते हुए अतिरिक्त धनराशि की मांग के प्रस्ताव को भेजना सुनिश्चित करें।
- आप अवगत हैं कि CAG ऑडिट दल द्वारा कतिपय जनपदों में अन्टाइड धनराशि के उपयोग में गम्भीर आपत्तियां उठाई गई थीं। अतः यह सुनिश्चित करें कि समस्त नियमों का पूर्ण पालन किया जायें एवं ऐसा कोई कार्य न करें जिससे ऑडिट द्वारा आपत्ति की जाये। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जायेगी तो व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अधिकारी

उत्तरदायी होंगे। किसी भी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका निराकरण परिवार कल्याण महानिदेशालय/मिशन निदेशक, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय के सम्बन्धित अनुभाग से अवश्य करा लिया जाये।

- अतः उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा0एम0आर0मलिक)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

पत्रांक:मा0शि0क0/उपकेन्द्र/2016–17/ तद्दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
7. निदेशक, एम0सी0एच0/परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबंधक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त दिशा–निर्देश को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला लेखा प्रबंधक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिये गये उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराना तथा व्यय विवरण राज्य स्तर पर समय से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
12. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

(डा0एम0आर0मलिक)
महानिदेशक,
परिवार कल्याण

12/7/16